मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

कमांक/जै0खे0/आई.एन.एम./मार्गदर्शी/2010–11/ भोपाल,दिनांक

आदेश कमांक –1

प्रति,

1. कलेक्टर————————(समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत————————
3. संयुक्त संचालक कृषि ————————(संभाग)
4. उप संचालक कृषि जिला जिला ———— (समस्त)
5. अनुविभागीय कृषि अधिकारी ————————(समस्त)
6. परियोजना अधिकारी, रा.ज.ग्र.क्षे.वि. ———————— (समस्त)
7. प्रक्षैत्र अधीक्षक, शासकीय कृषि प्रक्षैत्र ————————(समस्त)
8. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ———————— (समस्त)

बिषयः– एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आई.एन.एम.) का कियान्वयन के मार्गदर्शी निर्देश (2010–11)

यह कार्यकम केन्द्र प्रवर्तित है । इस कार्यकम के माध्यम से स्वच्छ प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि,जल एवं वायु को प्रदूषित किये बिना दीर्घकालीन एवं अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है । यह पद्वति टिकाऊ विश्वसनीय,सस्ती ,एवं स्वावलंबी है ।

1. कृषिः–

1.1 वर्तमान में प्रचलित सामान्य पद्वति में रसायनों के अंधाधुध उपयोग से खाद्यानों की पोष्टिकता एवं वातावरण पर प्रतिकूल प्रतिभाव देखे जा रहे है , जिससे जनसाधारण के स्वास्थ्य के साथ ही भूमि का स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा है ।

1.2 एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन एक ऐसी पद्वति है जिसके माध्यम से प्रदूषण पर रोकथाम लगायी जा सकती है, पानी एवं मिटटी को प्रदूषण से बचाया जा सकता है, खेती में आदानो के खर्चे में कमी लायी जा सकती है, एवं मिटटी के नैसर्गिक संतुलन को भावी पीढ़ियों के लिए बचा कर रखे जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है ।

2. उद्देश्य:—

1. भूमि में जीवांश एवं जीवाणुओं का संरक्षण करना ।
2. जलस्त्रोतों को तथा मिटटी को प्रदूषण मुक्त रख स्वस्थ्य पर्यावरण का निर्माण करना ।
3. गैर रासायनिक विधियों से मिटटी की उर्वरा शक्ति को बनाये रखना ।
4. उत्पादन लागत में कमी लाकर फलदायी बना कर किसान को स्वावलंबी बनाना ।
5. खेती तथा कृषक दोनों को स्वावलंबी बनाना ।

3. कार्यकम का विस्तार क्षेत्र:— मध्यप्रदेश के समस्त 50 जिले ।

4. हितग्राही चयन एवं अनुमोदन :—

4.1 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी,वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से प्राप्त लक्ष्यों से दोगुने हितग्राही का चयन करेंगे ।

4.2 उन हितग्राहीं को प्राथमिकता दी जावेगी जिन्हे पूर्व वर्षों में योजना का लाभ न मिला हो सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा लघुसीमान्त कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी ।

4.3 सूची तैयार करते समय तीस प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी ।

4.4 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा तैयार सूची तैयार की जावेगी ।

4.5 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हितग्राहीवार सूची कृषि विकास अधिकारी को देंगे। तथा कृषि विकास अधिकारी संकलित सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को देगें ।

4.6 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खंड की सम्पूर्ण सूची जनपद पंचायत कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन पश्चात जिला उप संचालक को देगें ।

4.7 उप संचालक कृषि जनपद पंचायत की स्थायी कृषि समिति व्दारा अनुमोदन सूची के अनुसार लक्ष्यों के मान से स्वीकृति की कार्यवाही करेगें , शेष कृषक प्रतीक्षा सूची में रहेगें ।

4.8 अनुमोदित सूची के आधार पर ही कार्यकम कियानवित होगा तथा यह सूची नयी सूची तैयार करने तक मान्य रहेगी ।

4.9 नयी सूची तैयार करते समय पूर्व सूची के शेष रहे चयनीत कृषकों को प्राथमिकता दी जावे ।

4.10 योजना का लाभ कृषकों को प्रथम आये प्रथम पाये के आधार पर दिया जावेगा । प्रथम आये कृषक व्दारा 15 दिवस में योजना का लाभ नहीं लिये जाने पर प्रतीक्षा सूची के कृषकों को दिया जावेगा ।

5. कार्यकम के घटक :—

5.1 बी.जी.ए.कल्चर (नीलहरित काई)
5.2 हरी खाद
5.3 वर्मीकम्पोस्ट
5.4 फार्मस फील्ड स्कूल

एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आई.एन.एम.) के अंतर्गत कृषकों को दी जाने वाली घटकवार राशि निम्नानुसार है:–

कमांक	घटक	अनुदान / सहायता
1.	बी.जी.ए.कल्चर (नीलहरित काई)	बी.जी.ए.कल्चर (नीलहरित काई) लागत का 25 प्रतिशत या रूपये 1000/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय है ।
2.	हरी खाद	हरी खाद लागत का 25 प्रतिशत या रूपये 1000/–प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय है ।
3.	वर्मीकम्पोस्ट पिट	वर्मीकम्पोस्ट लागत का 25 प्रतिशत या रूपये 1000/– प्रति दो पिट
4.	फार्मस फील्ड स्कूल	फार्मर फील्ड स्कूल प्रति फील्ड स्कूल रूपये 17000/–

5.1 कमांक 1,2,3 में वर्णित घटकों का अनुदान राशि कृषक के खाते में सीधे जमा की जावेगी । किसी भी स्थिति में अनुदान राशि हितग्राहीयों को नगद, चैक व बैंक ड्राफ्ट से नहीं दी जावेगी ।

5.2 फार्मर फील्ड स्कूल की राशि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा नियमानुसार व्यय की जावेगी ।

6. निरीक्षण :–

– ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/ कृषि विकास अधिकारी

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/ के सहयोग से कृषि विकास अधिकारी कार्यकम के कियान्वयन हेतु जिम्मेदार होंगे। प्रगति पंजी में संधारित करेंगे ।

– वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी

संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आदान व्यवस्था हेतु जिम्मेदार होंगे,साथ ही माह में कम से कम दो बार कार्यकम कियान्वयन में सहयोग देंगें तथा समीक्षा करेंगे ।

– अनुविभागीय कृषि अधिकारी/

अनुविभागीय कृषि अधिकारी/ माह में कम से कम दो बार कृषकों

समूहों से कार्यकर्ताओं से चर्चा कर कार्यक्रम कियान्वयन में सहयोग देंगे तथा प्रसार अधिकारियों/कार्यकर्ताओं के अभिलेख एवं दैनंदिनी में टीप देंगे तथा समीक्षात्मक विवरण उप संचालक कृषि को प्रेषित करेंगे ।

– उप संचालक कृषि

उप संचालक कृषि जिले के सभी विकासखण्डों, के लिये आई.एन.एम.योजना में लगने वाली आदान की समुचित व्यवस्था हेंतु उत्तरदायी होंगे तथा माह में अनिवार्यतः कम से कम एक बार कृषक समूहों/प्रसार अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से चर्चा कर कार्यक्रम कियान्वयन में तकनीकी/प्रशासनिक सहयोग देंगे तथा कार्यक्रम की प्रति माह समीक्षा कर प्रगति संचालक कृषि को प्रेषित करेंगे ।

– उप संचालक कृषि जिले के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यक्रम की प्रगति प्रस्तुत कर माह में कम से कम एक गांव का संयुक्त भ्रमण कराकर कार्यक्रम को गति देंगे ।

– संयुक्त संचालक कृषि

संयुक्त संचालक कृषि प्रत्येक माह में एक बार अधीनस्थ प्रत्येक जिले का भ्रमण कर कार्यक्रम में मार्गदर्शन देंगे एवं समीक्षा करेंगे तथा समस्याओं का समाधान करेंगे ।

7. भौतिक सत्यापनः–

उप संचालक कृषि	5 प्रतिशत
जिला स्तरीय /अनुविभाग स्तरीय विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी	25 प्रतिशत
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	100 प्रतिशत

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

पृकमांक/जै0खे03/आई.एन.एम/मार्गदर्शी/2010—11 / भोपाल,दिनांक

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी म.प्र.शासन भोपाल ।
2. निजी सचिव माननीय मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त म.प्र.शासन जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय म.प्र.शासन भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.शासन , मंत्रालय भोपाल ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंच.ायत ——————म.प्र. समस्त ।
6. संभागीय आयुक्त म.प्र.——————————समस्त ।
7. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ——————————म.प्र. समस्त ।
8. अपर/संयुक्त/उप /सहायक संचालक कृषि (समस्त) ——————————संचालनालीन भोपाल ।
9. प्राचार्य कृषक प्रशिक्षण केन्द्र ——————————समस्त म.प्र. ।
10. कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र ——————————समस्त म.प्र. ।

संलग्नः— मार्गदर्शी निर्देश

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास